प्रेस नोट
*जनपद – संतकबीरनगर *
दिनाँक 10.03.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 6002 द्वारा विवाद/ मारपीट में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6002 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत जगदीशपुर लहुरादेवा से कालर द्वारा मारपीट विवाद में घायल 02 व्यक्तियो (1.देवनरायण पुत्र स्व0 इन्द्रनाथ उपाध्याय 2. शिवजी उपाध्याय पुत्र स्व0 इन्द्रनाथ उपाध्याय सा0 जगदीशपुर लहुरादेवा थाना को0 खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल व्यक्तियो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 गौतम कुमार, आ0 बबलू यादव, हो0चा0 अयोध्या प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 175 वाहनों से 2,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 10.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 175 वाहनों से 2,10,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा विधि सम्मत तरीके से धारा 82 सीआरपीसी अन्तर्गत फरार अभियुक्त के गांव में की गई मुनादी
निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित न होने पर फरार अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की अग्रिम वैधानिक कार्यवाई अमल में लायी जाएगी

आज दिनांक 10.03.2026 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्रा* के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में वाद संख्या 711/2021 धारा 376/506 भाद0वि0 में फरार अभियुक्त आकाश पुत्र अशोक निवासी बेलराई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में थाना महुली पुलिस द्वारा न्यायालय द्वारा जारी धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के घर एवं ग्राम में पहुंचकर सार्वजनिक रूप से मुनादी कराई गई।
इस दौरान ग्रामीणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई (कुर्की आदि) की जाएगी।
थाना महुली पुलिस द्वारा यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विधि सम्मत तरीके से की गई तथा संबंधित कार्यवाही की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को प्रेषित की जा रही है।

जनशिकायतों के निस्तारण में माह फरवरी-2026 की मासिक रैकिंग मे जनपद संतकबीरनगर को प्रदेश में मिला, प्रथम रैंक

लगातार नौवीं बार संतकबीरनगर जिला रहा अव्वल, प्रदेश में मिला प्रथम स्थान

पुलिस अधीक्षक की जनसुनवाई प्रथम, अभियान का दिख रहा असर, जनपद रहा प्रथम

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर पुलिस को आईजीआरएस पोर्टल पर जनशिकायतों के निस्तारण पर *प्रदेश में प्रथम रैंक* प्राप्त हुआ है। महोदय द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि थाने पर उपस्थित पीड़ित / शिकायतकर्ता के साथ अच्छा तालमेल एवं उनके साथ अच्छे से व्यवहार कर गुण-दोष के आधार पर उभय पक्ष के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करें। गौरतलब है कि जनशिकायतों का निस्तारण आनलाइन किया जाता है, पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का एक निश्चित समय दिया जाता है, जिसे उन संदर्भों को नियत समयावधि के अन्तर्गत निस्तारण किया जाना अनिवार्य है। पोर्टल पर विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सन्दर्भों की जाँच हेतु जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण की निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्वक जाँच कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का गुणवत्तापरक निस्तारण मे वर्ष-2026 में माह फरवरी की मासिक रैकिंग में जनपद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। माह फरवरी 2025 में जनपद के समस्त थानों को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद में आईजीआरएस पोर्टल पर शासन एवं पुलिस अधिकारियों के स्तर से प्राप्त समस्त संदर्भों का गहराई एवं निष्पक्ष जाँच हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता रहता है तथा पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों की जाँच आख्या प्राप्त होने पर जाँच आख्याओं का भी गहनता से परीक्षण किया जाता है, जाँच पुष्टिकारक न होने पर आईजीआरएस संदर्भ पुनः जाँच के लिए सम्बन्धित अधिकारी को कड़े निर्देश के साथ वापस किया जाता है। निरन्तर अच्छे परिणाम के लिए आगे भी अच्छा मेहनत करने हेतु सबको निर्देशित किया गया।